हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांकः– 1580 /संचालन

दिनांकः– 30.10.2025

कोटेशन सूचना

विषयः– पिक–अप वाहनों के किराए की राशि सभी करों सहित (टोल टैक्स/जी.एस.टी.) कुटेशन बारे।

दिनांक 29.11.2025 को प्रातः 07:00 बजे बोर्ड मुख्यालय से सभी जिला मुख्यालयों पर जाने व दिनांक 30.11.2025 को परीक्षा समाप्ति उपरान्त वापिस बोर्ड मुख्यालय, भिवानी पर आने के लिए रूट अनुसार पिक–अप वाहनों के किराए की राशि सभी करों सहित (टोल टैक्स/जी.एस.टी.) कोटेशन आमंत्रित किए जाते है, जिसका विवरण Annexure-1 में दिया गया है। Annexure-2 में नियम और शर्तो के अधीन है। कोटेशन दिनांक 04.11.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक ई–मेल पते ratesbseh@gmail.com पर भेजी जानी है।

यदि कोटेशनकर्ता सभी निर्देशों/शर्तो (Annexure-2) का पूरी तरह से पालन नहीं करता है तो कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में कोटेशन उसी दिन खोली जाएगी।

30/10/25

सहायक सचिव (संचालन)
कृतेः सचिव

Annexure-1

सेवा में

सचिव,
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
भिवानी।

विषयः– पिक–अप वाहनों के किराए की कूटेशन बारे।

आपके कोटेशन न0 1580/C दिनांक 30.10.25 के सन्दर्भ में दिनांक 29.11.2025 को प्रातः 07:00 बजे बोर्ड मुख्यालय से जिला मुख्यालयों पर प्रश्न–पत्रों की पेटियां पिक–अप वाहनो के माध्यम से रूट अनुसार भेजी जानी है, ये वाहन दिनांक 29.11.2025 को निर्धारित रूट के अन्तिम जिले में रात्रि ठहराव करते हुए दिनांक 30.11.2025 को परीक्षा समाप्ति उपरान्त रूट अनुसार ही ओ.एम.आर. के सील्ड पैकेट, स्टेशनरी बैग एवं अन्य दस्तावेज/सामान लेकर वापिस बोर्ड मुख्यालय, भिवानी पर लाने के लिए पिक–अप वाहनों की रूट अनुसार कोटेशन किराए की राशि सभी करों सहित (टोल टैक्स/जी.एस.टी.) निम्नानुसार दी जाती है:–

क्र. स.	जिलावार रूट	दिनांक 29.11.2025 को किराए के लिए गाड़ी का नाम।	कोटेशन कर्त्ता द्वारा कोटेशन की जाने वाली किराए की राशि सभी करों (टोल टैक्स/जी.एस.टी.) सहित
1	भिवानी से जीन्द–कैथल	पिक–अप वाहन	Rs.
2	भिवानी से अम्बाला–पंचकुला	पिक–अप वाहन	Rs.
3	भिवानी से गुरूग्राम–फरीदाबाद	पिक–अप वाहन	Rs.
4	भिवानी से फतेहाबाद–सिरसा	पिक–अप वाहन	Rs.
5	भिवानी से झज्जर–रेवाड़ी	पिक–अप वाहन	Rs.
6	भिवानी से पानीपत–करनाल	पिक–अप वाहन	Rs.
7	भिवानी से कुरूक्षेत्र–यमुनानगर	पिक–अप वाहन	Rs.
8	भिवानी से नूंह–पलवल	पिक–अप वाहन	Rs.
9	भिवानी से चरखी दादरी–नारनौल	पिक–अप वाहन	Rs.
10	भिवानी से रोहतक–सोनीपत	पिक–अप वाहन	Rs.
11	भिवानी से भिवानी–हिसार	पिक–अप वाहन	Rs.
	कुल		

यह प्रमाणित किया जाता है कि मुझे कोटेशन नोटिस के निर्देश, नियम और शर्ते स्वीकार्य है और मेरे द्वारा कोटेशन में दी गई किराए की दरें सही है।

1. कोटेशनकर्त्ता का नाम – ....
2. फर्म/एजेंसी का नाम – ....
3. फर्म/एजेंसी का पता – ....
4. पैन नम्बर– ....
5. जी.एस.टी.नम्बर– ....
6. मोबाईल नम्बर और ई–मेल आई.डी. – ....
7. फर्म/एजेंसी का रजि. न0– ....
8. बैंक का नाम जिसमें कोटेशनकर्त्ता का खाता है– ....
9. बैंक की शाखा का नाम– ....
10. कोटेशनकर्त्ता का खाता नम्बर– ....
11. बैंक शाखा के आई. एफ.एस.सी. कोड़ – ....
12. मुझे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा या किसी अन्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

कोटेशनकर्त्ता के हस्ताक्षर
मोहर सहित

Annexure-2

शर्तें निम्न प्रकार से हैं:–

1. किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत सामान साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
2. सभी वाहन अच्छी हालत में तिरपाल व फट्टों सहित होनी चाहिए।
3. इस कार्य के लिए जो वाहन भेजे जाऐं, उनके सभी कागजात व बिल्टी आदि पूरे होने चाहिए। सम्बन्धित ड्राईवर के लाईसैंस आदि की जांच करने व पुष्टि होने के पश्चात् ही वाहन बोर्ड कार्यालय में भेजा जाए।
4. उक्त सामान को समय पर निर्धारित स्थानों पर पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी होगी। यदि कोई वाहन रास्ते में खराब होता है तो उसके स्थान पर दूसरा वाहन समय पर उपलब्ध करवाने का दायित्व आपका होगा।
5. कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त बिल देने पर किराए की राशि का भुगतान **TDS** काटकर कार्यालय नियमानुसार किया जाएगा।
6. टोल टैक्स की अदायगी आप द्वारा की जायेगी।
7. लोडिंग व अनलोडिंग का खर्च बोर्ड कार्यालय का होगा।
8. यदि बोर्ड द्वारा किन्ही कारणों से इस तिथि में बदलाव/स्थगित किया जाता है तो इसकी सूचना आपको निर्धारित तिथि से 24 घण्टे पूर्व दे दी जाएगी, वह आपको मान्य होगी।
9. डीजल के रेट में बढ़ोतरी होती है तो आप द्वारा दिनांक 04.11.2025 को दी गई कुटेशन अनुसार ही दिनांक 29.11.2025 को वाहन उपलब्ध करवाने होंगे।
10. यदि आप द्वारा गाडी उपलब्ध करवाने में देरी/मना किया जाता है, तो बोर्ड कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।